

बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, पटना

(वेबसाईट <https://bpssc.bihar.gov.in>)

संदर्भ : विज्ञापन संख्या-01/2024

गृह विभाग, (आरक्षी शाखा) बिहार सरकार में “आशु सहायक अवर निरीक्षक” के पद पर चयन हेतु पात्रता की जाँच, ई-प्रवेश-पत्र एवं अभिलेख सत्यापन संबंधी सूचना।

बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा गृह विभाग (आरक्षी शाखा) बिहार सरकार में “आशु सहायक अवर निरीक्षक” के 305 पदों पर चयन हेतु जारी किये गये विज्ञापन संख्या-01/2024 के क्रम में पात्रता की जाँच दिनांक-15.04.2025 से 17.04.2025 तक पटना में दो पाली में निम्नवत आयोजित की जायेगी। अभ्यर्थियों के परीक्षा केन्द्र, परीक्षा की तिथि एवं पाली उनके प्रवेश-पत्र पर अंकित होगी।

दिनांक	पाली	अभ्यर्थियों के परीक्षा केन्द्र पर रिपोर्टिंग का समय
15.04.2025	प्रथम पाली	08:30 बजे पूर्वाह्न
से	द्वितीय पाली	13:30 बजे अपराह्न
17.04.2025		

(2) ई-प्रवेश-पत्र - लिखित प्रतियोगिता परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों का ई-प्रवेश-पत्र (E-Admit Card) आयोग की वेबसाईट <https://bpssc.bihar.gov.in> के 'Bihar Police' टैब पर दिनांक-28.03.2025 से उपलब्ध रहेगा। अभ्यर्थी अपना ई-प्रवेश-पत्र डाउनलोड कर प्रिंट आउट ले लें। स्पष्ट किया जाता है कि डाक द्वारा प्रवेश-पत्र नहीं भेजा जायेगा। अभ्यर्थी प्रवेश-पत्र पर अंकित निर्देशों का पालन करेंगे।

(3) जो अभ्यर्थी किसी कारणवश वेबसाईट से ई-प्रवेश-पत्र डाउनलोड नहीं कर सकें वे दिनांक-11.04.2025 को पूर्वाह्न 10:00 बजे से संध्या 17:00 बजे तक बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के 5, हार्डिंग रोड, पटना-800001 स्थित कार्यालय से डुप्लिकेट ई-प्रवेश-पत्र प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी अपने आवेदन-पत्र की पावती की छायाप्रति एवं एक वैध फोटोयुक्त पहचान-पत्र के साथ आयोग कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर अपने खर्च पर डुप्लिकेट ई-प्रवेश-पत्र प्राप्त कर सकते हैं।

(4) अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि पात्रता की जाँच परीक्षा में सफल एवं पात्र अभ्यर्थियों का Document Verification बाद में किया जायेगा। जिसके सम्बन्ध में अलग से सूचना आयोग की वेबसाईट पर प्रकाशित की जाएगी। उक्त अवसर पर सभी अभ्यर्थी निर्दिष्ट समय पर अपने प्रवेश-पत्र तथा अपने ऑनलाइन आवेदन-पत्र की पावती की छायाप्रति के अतिरिक्त निम्नांकित मूल प्रमाण-पत्रों तथा उनकी एक सेट छायाप्रति के साथ उपस्थित होंगे :-

- वैध फोटोयुक्त पहचान-पत्र जैसे- मतदाता पहचान-पत्र, ड्राईविंग लाइसेंस, आधार कार्ड आदि।
- मैट्रिक उत्तीर्ण होने का प्रमाण-पत्र (जन्म तिथि हेतु)।
- इण्टरमिडिएट (10+2) परीक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्णता का प्रमाण-पत्र (शैक्षणिक योग्यता हेतु)।
- दिनांक-01.08.2024 तक कम्प्यूटर संचालन में डिप्लोमा प्रमाण-पत्र (सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा निर्गत)।

- (v) सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग कोटि के लिए)। महिला अभ्यर्थियों (विवाहित/अविवाहित) का जाति प्रमाण-पत्र पिता के आधार पर निर्गत होने पर ही मान्य होगा।
- (vi) क्रीमीलेयर में नहीं आने संबंधी प्रमाण-पत्र एवं प्रपत्र-xviii B (पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए)। क्रीमीलेयर रहित (NCL) प्रमाण-पत्र, महिला अभ्यर्थियों (विवाहित / अविवाहित) का क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र पिता के आधार पर निर्गत होने पर ही मान्य होगा।
- (vii) बिहार राज्य के स्थायी निवासी होने संबंधी प्रमाण-पत्र (सभी आरक्षित कोटि के अभ्यर्थियों के लिए)।
- (viii) बिहार राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का सदस्य होने संबंधी वित्तीय वर्ष 2023-2024 की आय एवं परिसम्पतियों के आधार पर बना हुआ प्रमाण-पत्र। बिहार सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या 2622, दिनांक-26 फरवरी, 2019 (गजट संख्या 284) के द्वारा विहित प्रपत्र में अनुमान्य होगा।
- (ix) बिहार सरकार के सरकारी सेवक होने संबंधी प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो), बिहार सरकार में कार्यरत ऐसे सरकारी सेवक, जिन्होंने कट ऑफ तिथि तक नियमित सेवा में न्यूनतम तीन वर्षों की अवधि पूरी कर ली हो, वे अपने नियंत्री पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से साथ लाएँगे।
- (x) भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को अपना पी0पी0ओ0 तथा डिस्चार्ज बुक लाना अनिवार्य होगा। (यदि लागू हो)
- (xi) स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतिनी के लिए स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित होने का प्रमाण-पत्र (बिहार राज्य के निवासियों के लिए जिलाधिकारी द्वारा निर्गत)। (यदि लागू हो)
- (xii) दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत दिव्यांगता प्रमाण-पत्र।
- (5) सभी अभ्यर्थियों को विज्ञापन संख्या-01/2024 में वर्णित सभी शर्तों, प्रक्रिया एवं प्रावधानों का पूर्णतः पालन करना अनिवार्य होगा।
- (6) दलालों से सावधान रहें एवं ऐसे संदिग्धों के सम्बन्ध में पुलिस को सूचित करें।

ह0/-

अध्यक्ष,

बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग,
पटना।

पत्र संख्या बि0पु0अ0से0आ0/परीक्षा-01-05/2024-224

दिनांक-18.03.2025

बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग का कार्यालय,

5, हार्डिंग रोड, पटना - 800001